न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

दायर दिनांकः 19.06.2023

प्रकरण सख्याः 02/23

जीसीएमएस नं. 2023/194

उनवान

जगदीश प्रसाद पुत्र श्री पूरन जाति बैरवा नि. नीमली तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

—अपीलाण्ट

बनाम

1 ग्राम पंचायत सुहारी पं. स. वैर हाल पं. स. भुसावर, जरिये सरपंच ग्रा.पं. सुहारी पं. स. भुसावर।

—रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.ए. 1956
विरूद्ध नामा. सं. 383 दिनांक 20.07.2001
ग्राम नीमली, ग्रा.पं. नीमली पं.स. भुसावर

अधिवक्ताः—

1 श्री सुरेन्द्र चौधरी —अपी.
2 धनेन्द्र कुमार पाण्डेय —रेस्पो.

निर्णय दिनांक 18.02.2025

वकील अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ख.नं. 242 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा तह. भुसावर में स्थित है, जिसका नया ख.नं. 320 रकबा 0.01, 321 रकबा 2.50 हैक्टे. है। उक्त आराजी के संपूर्ण हिस्से से 1/10 हिस्सा की आराजी को अपीलान्ट ने खातेदार हेतराम पुत्र ग्यारसा जाति चमार (बैरवा) से दिनांक 07.07.2001 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया था। जिसके आधार पर अपीलान्ट उक्त आराजी के संपूर्ण भाग में 1/10 हिस्से का काश्तकार एवं खातेदार है। अपीलान्ट द्वारा खरीद की गई। आराजी का नामान्तरकरण दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारी हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण भरते समय खातेदार हेतराम के 1/2 हिस्सा में से 1/10 हिस्सा दर्ज कर दिया, जिस पर रेस्पोडेन्ट द्वारा अपना आदेश पारित किया है, जो निम्न आधारों पर निरस्त किये जाने योग्य है—

रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ने अपना आदेश पारित करने से पूर्व विक्रय पत्र पर कोई भी जाँच नहीं की और बिना जाँच किये ही अपना आदेश पारित कर दिया है। जो निरस्त होने योग्य है।

अपीलान्ट द्वारा आराजी के संपूर्ण भाग में से 1/10 हिस्सा खरीद किया था। जबकि नामान्तरकरण दर्ज करते समय अपीलान्ट का हिस्सा विक्रेता हेतराम के 1/2 हिस्सा में से 1/10 हिस्सा का नामान्तरकरण दर्ज कर अपना आदेश पारित किया है। जिसके आधार पर अपीलान्ट द्वारा खरीद की गई संपूर्ण रकबा के 1/10 भाग की आराजी का खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होकर 1/20 हिस्सा का खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट द्वारा पारित आदेश निरस्त होने योग्य है।

अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 383 दिनांक 20.07.2001 वाके ग्राम नीमली ग्राम पंचायत सुहारी को निरस्त करते हुए पुनः नामान्तरकरण खोलने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

हमने अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से कराई गई। नोटिस की ताईद में रेस्पोडेन्टस की ओर से श्री धनेन्द्र कुमार पाण्डेय एड. द्वारा पेश किया तथा उनके द्वारा अपील बाबत कोई आपत्ति नहीं की गई है।

हमने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली और इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भांति अध्ययन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर दाखिला खारिज नंबर 383 दिनांक 20.07.2001 वाके ग्राम नीमली ग्राम पंचायत नीमली पंचायत समिति भुसावर निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार, भुसावर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि प्रकरण का भली भांति परीक्षण करें तथा नियमानुसार सुनवाई कर विविसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)